



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ceupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक 6154 / M-15 / 74
सेवा में,

दिनांक 28/07/2026

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 28.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "टंडवा गांव में पानी की टंकी के पिलर एक साल में हुए क्षतिग्रस्त" के संदर्भ में।

संदर्भ : मे० स्ट्रक्चरिटी इंटरनेशनल एल०एल०पी०, वाराणसी (विशेषज्ञ- डॉ० विश्वजीत आनन्द, सहायक प्राध्यापक, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT-BHU) वाराणसी) की निरीक्षण आख्या, माह मार्च, 2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रकरण के क्रम में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-अमानीगंज की ग्राम पंचायत टंडवा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित 175 किली० क्षमता की शिरोपरि जलाशय (निर्माण वर्ष 2024) के एक कॉलम में, प्रथम ब्रेस एवं कॉलम के जोड़ (जंक्शन) पर, स्थलीय निरीक्षण के दौरान दरार (crack) दृष्टिगत हुई थी।

उक्त के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था मे० यूनिवर्सल एम.ई.पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि० को निर्देशित किया गया कि IIT-BHU, वाराणसी के विशेषज्ञ से स्थल का निरीक्षण एवं आवश्यक अविनाशी परीक्षण (Non-Destructive Testing) कराते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निर्देशों के अनुपालन में विशेषज्ञ द्वारा स्थल का निरीक्षण एवं रिबाउण्ड हैमर तथा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी (UPV) परीक्षण किया गया। परीक्षण में कॉलम-बीम जंक्शन (जोड़) वाले भागों की सामर्थ्य (strength) अपर्याप्त पाई गई तथा विशेषज्ञ द्वारा दक्ष/विशेषज्ञ मानव संसाधन के माध्यम से सुदृढ़ीकरण कार्य की संस्तुति की गई, जिसमें कॉलमों का टाई-बीम स्तर तक आर०सी०सी० जैकेटिंग, ज्वाइंट पर पॉलिमर मॉडिफाइड मॉर्टर एवं एपॉक्सी ग्राउटिंग सहित CFRP रैपिंग तथा एन्टी-कार्बोनेशन कोटिंग सम्मिलित है।

विशेषज्ञ की उक्त संस्तुति के अनुपालन में वर्तमान में टंकी का सुदृढ़ीकरण (strengthening) कार्य विशेषज्ञ पर्यवेक्षण में कार्यदायी संस्था द्वारा, दोष-दायित्व अवधि (DLP) अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर, प्रगति पर है। इस अवधि में ग्रामवासियों को पेयजल की उपलब्धता निर्बाध बनाए रखने हेतु समस्त ग्रामों में सीधे पम्पिंग (direct pumping) के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, जिससे कोई भी ग्राम जलापूर्ति से वंचित नहीं है।

सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संरचना का पुनः परीक्षण कराकर एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नियमित जलापूर्ति की जाएगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं संरचनात्मक सुरक्षा के प्रति विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०

दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. श्री हर्षवर्धन सिंह, सहा०अभि०/श्री शिवम् सिंह, जूनी०इंजी०
3. मे० यूनिवर्सल एम.ई.पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि० मुम्बई।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),

1/13/107, नैय्यर कालोनी, सिविल लाइन्स, अयोध्या-224001

Email Id: ceupjn_cdfaizabad@yahoo.co.in



पत्रांक
सेवा में,

दिनांक

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय : दैनिक भाष्कर (Digital) में दिनांक 28.07.2026 को प्रकाशित शीर्षक "टंडवा गांव में पानी की टंकी के पिलर एक साल में हुए क्षतिग्रस्त" के संदर्भ में।

संदर्भ : मे० स्ट्रक्चरलिटी इंटरनेशनल एल०एल०पी०, वाराणसी (विशेषज्ञ- डॉ० विश्वजीत आनन्द, सहायक प्राध्यापक, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT-BHU) वाराणसी) की निरीक्षण आख्या, माह मार्च, 2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रकरण के क्रम में अवगत कराना है कि विकासखण्ड-अमानीगंज की ग्राम पंचायत टंडवा में जल जीवन मिशन अन्तर्गत निर्मित 175 किली० क्षमता की शिरोपरि जलाशय (निर्माण वर्ष 2024) के एक कॉलम में, प्रथम ब्रेस एवं कॉलम के जोड़ (जंक्शन) पर, स्थलीय निरीक्षण के दौरान दरार (crack) दृष्टिगत हुई थी।

उक्त के दृष्टिगत कार्यदायी संस्था मे० यूनिवर्सल एम.ई.पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि० को निर्देशित किया गया कि IIT-BHU, वाराणसी के विशेषज्ञ से स्थल का निरीक्षण एवं आवश्यक अविनाशी परीक्षण (Non-Destructive Testing) कराते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

निर्देशों के अनुपालन में विशेषज्ञ द्वारा स्थल का निरीक्षण एवं रिबाउण्ड हैमर तथा अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी (UPV) परीक्षण किया गया। परीक्षण में कॉलम-बीम जंक्शन (जोड़) वाले भागों की सामर्थ्य (strength) अपर्याप्त पाई गई तथा विशेषज्ञ द्वारा दक्ष/विशेषज्ञ मानव संसाधन के माध्यम से सुदृढ़ीकरण कार्य की संस्तुति की गई, जिसमें कॉलमों का टाई-बीम स्तर तक आर०सी०सी० जैकेटिंग, ज्वाइंट पर पॉलिमर मॉडिफाइड मॉर्टर एवं एपॉक्सी ग्राउटिंग सहित CFRP रैपिंग तथा एन्टी-कार्बोनेशन कोटिंग सम्मिलित है।

विशेषज्ञ की उक्त संस्तुति के अनुपालन में वर्तमान में टंकी का सुदृढ़ीकरण (strengthening) कार्य विशेषज्ञ पर्यवेक्षण में कार्यदायी संस्था द्वारा, दोष-दायित्व अवधि (DLP) अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर, प्रगति पर है। इस अवधि में ग्रामवासियों को पेयजल की उपलब्धता निर्बाध बनाए रखने हेतु समस्त ग्रामों में सीधे पम्पिंग (direct pumping) के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है, जिससे कोई भी ग्राम जलापूर्ति से वंचित नहीं है।

सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संरचना का पुनः परीक्षण कराकर एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नियमित जलापूर्ति की जाएगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं संरचनात्मक सुरक्षा के प्रति विभाग पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अरविन्द यादव)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० 6154 / M-15 / 74 दिनांक 28/07/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), अयोध्या।
2. श्री हर्षवर्धन सिंह, सहा०अभि०/श्री शिवम् सिंह, जूनि०इंजी०
3. मे० यूनिवर्सल एम.ई.पी. प्रोजेक्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज लि० मुम्बई।

अधिशासी अभियन्ता